>तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/4143/2005/नागौर हनुमानराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.11.2020	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री एस0पी0सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्रम मोडियावट में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 270 रकबा 03 बिस्वा पर प्रार्थी हनुमानराम का पुश्तैनी रहवासी मकान बना है जिस पर तहसीलदार मौलासर ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2003 से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही करते हुये उसे बदेखल करने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय जिला कलेक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय दिनांक 17.09.04 से खारिज कर दी। न्यायालय जिला कलेक्टर, डीडवाना के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 25.05.05 से खारिज कर दी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के उक्त निर्णय दिनांक 25. 05.2005 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। दौराने निगरानी अभिभाषक प्रार्थी हनुमानराम ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि मूल प्रार्थी हनुमानराम का स्वर्गवास दिनांक 04.05.14 को चुका है	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/4143/2005/नागौर हनुमानराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके विधिक वारिसान भींवाराम, प्रभुराम पुत्रगण व चांदी देवी व पुरी देवी पुत्री है। अतः हनुमनराम के उक्त विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मृतक हनुमानराम के उक्त वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादग्रस्त भूमि ग्रम की आबादी भूमि है एवं प्रार्थी के खातेदारी भूमि के चिपती हुई है। इस कारण उक्त विवादित 03 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी हनुमानराम का पुश्तैनी रहवासी मकान बना हुआ है। अतः उक्त रकबा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों दिनांक 02.02.83 व 16.10.01 के अनुसार प्रार्थी को नियमन किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया उप तहसीलदार, मौलासर ने महज पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण दिनांक 17.07.03 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रार्थी को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने तथा पटवारी हल्का से जिरह करने की आज्ञा दी जावे एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की अनुपालना में नियमन बाबत ओदश पारित किये जावे परन्तु उप तहसीलदार ने उक्त दिशा निर्देशों की पालना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन	

>तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/4143/2005/नागौर हनुमानराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी रकबा 03 बिस्वा पर प्रार्थी का पुराना कब्जा नहीं है। पुराना कब्जा साबित करने के लिए पुराना कब्जा संबंधी दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी, खसरा परिर्वतनशील तथा जुर्माना रसीदें आदि साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने हेाते है जो प्रार्थी द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये गये। किसी व्यक्ति का किसी भूखण्ड विशेष पर उक्त दस्तावेजात के अभाव में पुराना कब्जा मान लेना तर्क संगत नहीं है। वर्ष 2001 में पटवारी द्वारा प्रार्थी का विवादित रकबा 3 बिस्वा पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट किये जाने से पूर्व का कब्जा होने सबंधी कोई सबूत प्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त आधार पर तहसीलदार ने आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस निगरानी प्रकरण में हनुमानराम की मृत्यु हो चुकी है उसके 2 पुत्र व 2 पुत्रियां क्रमशः भींवाराम, प्रभुराम व चांदी देवी व पुरी देवी उनके विधिक वारिसान के रूप में रिकार्ड पर आने से प्रकरण में उनके सुनवाई किये जाने के पश्चात ही समुचित निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी मूल प्रार्थी/निगराकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/4143/2005/नागौर हनुमानराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रकरण आंशिक स्वीकार करते हुये इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार, मौलासर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे हनुमानराम के विधिक वारिसान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पुनः सुनवाई करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष नायब तहसीलदार, मौलासर के समक्ष दिनांक. 29.12.2020 उपस्थित होवें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	